संख्या:92/2022/244/35-4-2022

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फर्रूखाबाद।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 22 मार्च, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद- फर्रूखाबाद के विधान सभा क्षेत्र- कायमगंज में राजकीय पॉलीटेक्निक, कुरार, कायमगंज, के भवन निर्माण कार्य की त्वरित आर्थिक विकास योजना से शासनादेश संख्या-24/2020/263/35-4-2020, दिनांक 17 फरवरी, 2020 द्वारा स्वीकृति निर्गत करते हुये भवन निर्माण कार्य की अनुमोदित लागत रू. 1810.29 लाख +(जी0एस0टी0 नियमानुसार देय) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू. 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या- 14/2021/167/35-4-2021 दिनांक 09 फरवरी, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू. 271.54 लाख, शासनादेश संख्या-124/2021/1240/35-4-2021 दिनांक 13 अगस्त, 2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू. 886.18 लाख एवं शासनादेश संख्या-60/2022/166/35-4-2022 दिनांक 21 फरवरी,2022 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू. 362.06 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु अभी तक कुल रू. 1719.78 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जनपद द्वारा पत्र संख्या-14/त्व0आ0वि0यो0/2021-22, दिनांक 04 जनवरी,2022 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु जी0एस0टी0 की नियमानुसार देय धनराशि रू. 189.16 लाख होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा उपर्युक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत कार्य की अनुमोदित कुल लागत रू. 1999.45 लाख (1810.29+189.16=1999.45 लाख) के सापेक्ष जी0एस0टी0 की देय धनराशि रू. 189.16 लाख (रूपये एक करोड़ नवासी लाख सोलह हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

कार्य	**अनुमोदित लागत**	**जी0एस0टी0 की धनराशि**	**कुल लागत**	**जी0एस0टी0 हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि**
राजकीय पॉलीटेक्निक, कुरार, कायमगंज, फर्रूखाबाद का भवन निर्माण कार्य	1810.29+ जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय)	189.16	1999.45	189.16

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2020, दिनांक 09 फरवरी,2021, दिनांक 13 अगस्त,2021 एवं 21 फरवरी, 2022 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2022 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2022 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जून,2022 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्ष-4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-104-बहुशिल्प-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0302-राजकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण के चालू कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे □ाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या:92/2022/244(1)/35-4-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,प्राविधिक शिक्षा विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण□लायुक्त, कानपुर मण□ल।
8- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
9- प्रबन्ध निदेशक, सी0एण□ □ी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, टी0सी0-38 बी, विभूति खण□,गोमतीनगर, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, फर्रूखाबाद।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फर्रूखाबाद।
12- गार्□ फाईल।
13- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, फर्रूखाबाद।
15- परियोजना प्रबन्धक, सी0एण□ □ी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, फर्रूखाबाद।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।